रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

3/10/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 1986/श्रावण 22, 1908
No. 327] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 1986/SRAVANA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1986

अधिसूचना

का. आ. 487(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 24) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त, 1986 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. के. 11012(1)/86-प्लांट (ए)]
डी० पी. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 13th August, 1986

NOTIFICATION

S.O. 487(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Tea (Amendment) Act, 1986 (24 of 1986), the Central Government hereby appoints the 15th day of August, 1986, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. K-1 1012 (1)/86-Plant (A)]
D.P. BAGCHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986